(73)

कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष)

सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, मध्यप्रदेश, भोपाल

कमांक/एफ–14/10–10/ 2364 भोपाल, दिनांक 16/05/12

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

समस्त क्षेत्र संचालक ,टाइगर रिजर्व, म.प्र.

संचालक , वन बिहार, भोपाल।

विषय : अग्नि सुरक्षा हेतु आवंटित राशि के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश।

संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र कमॉक /संरक्षण/ कक्ष–4/1247 दिनांक 20–8–2002

2– कमॉक/संरक्षण/कक्ष–4/1026 दिनांक 30–6–2003

3– कमॉक/कक्ष–4/1306 दिनांक 29–4–2005

संदर्भित पत्रों व्दारा तत्समय के वर्षो में अग्नि सुरक्षा हेतु आवंटित राशि के उपयोग हेतु दिशा निर्देश दिये गये थे । वर्ष 2012–13 में आपकी मॉग अनुसार प्रथम तिमाही की अग्नि सुरक्षा की राशि संलग्न सूची अनुसार आवंटित की गई है।

अग्नि सुरक्षा की आवंटित राशि के उपयोग हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :–

1– वन मण्डलाधिकारी अपने क्षेत्र के वनों की अग्नि सुरक्षा योजना तैयार कर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदित करायेगें । यह योजना कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरुप तथा वनों के घनत्व तथा अग्नि के प्रकोप के आधार पर तैयार की जावेगी।

2– अग्नि सुरक्षा कार्य समितियों के माध्यम से कराया जाय । जहॉ समितियॉ नहीं हैं अथवा समितियॉ अग्नि सुरक्षा कार्य करने को तैयार नहीं होतीं, वहॉ अग्नि सुरक्षा कार्य विभागीय रुप से कराये जायें ।

3– वन मण्डलों को आवंटित राशि उनकी मॉग के आधार पर दी गई है । वन मण्डलाधिकारी व्दारा उन्हें आवंटित राशि का उपयोग निम्न सिध्दान्तों के अनुरुप किया जावेगा :–

3.1 आवंटित राशि में से 10 प्रतिशत राशि वन मण्डल स्तर पर रोक कर वनमण्डल स्तर पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर किये जाने वाले व्यय में उपयोग की जावेगी।

3.2 आवंटित राशि में से 2 प्रतिशत राशि का उपयोग वन मण्डलाधिंकारी व्दारा अग्नि सुरक्षा के प्रति जनता में जागरुकता लाने के लिये प्रचार–प्रसार हेतु किया जावेगा ।

3.3 कार्य आयोजना के अनुसार फायर लाइन कटाई व सफाई का कार्य विभागीय कर्मचारियों व्दारा समिति के माध्यम से कराया जाय तथा मुख्य वन संरक्षक व्दारा अनुमोदित जाबदर से भुगतान समिति को दिया जाय ।

01c

3.4 समितियों को दी गई राशि के लेखा के संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबन्धन) व्दारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे ।

4– वनों में आग लगने का एक महत्वपूर्ण कारण महुआ सीजन में वृक्षों के नीचे पत्तों को जलाना होता है । इस हेतु योजना बनाई जावे और वनों के बाहर व वन क्षेत्र के अन्दर महुआ के वृक्षों के नीचे पत्तों को साफ करवाने का अभियान चलाया जायें। कुछ वनमण्डलों व्दारा महुआ के वृक्ष हितग्राहियों में आवंटित कर अग्नि सुरक्षा की गई जिसके उत्साहवर्धक परिणाम देखे गये हैं । आप लोग भी ऐसी व्यवस्था पर विचार करें।

5– वनों की आग से सुरक्षा वनों के संवर्धन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है । इस कार्य को पूरी निष्ठा से पूर्ण किया जाये और इसमें वायरलेस/मोबाईल और अन्य भी साधनों का भरपूर उपयोग किया जाये ।

6– इस वर्ष की भॉति आगामी वर्षो में भी 5 प्रतिशत बीटों में अग्नि घटनाओं का रेण्डम सत्यापन किया जावेगा । इसलिये सभी कर्मचारियों को निर्देशित करें कि अग्नि घटनाओं का सही विवरण संग्रहित कर अभिलेख तैयार करें ।

इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय । कृपया ध्यान रहे कि आपको पर्याप्त राशि उपलब्ध करवाये जाने के बाबजूद भी यदि वनों की अग्नि से हानि होती है तो प्रत्येक स्तर के अधिकारियों / कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावेगा ।

संलग्न –उपरोक्तानुसार ।

15-5-2012

(डॉ0पी0के0शुक्ला)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

कमांक/एफ–14/10–10/ 2365 भोपाल, दिनांक 16/05/12

प्रतिलिपि :– 1–प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश, भोपाल ।
2–अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) मध्यप्रदेश, भोपाल ।
3–समस्त वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)
4–वन मण्डलाधिकारी वन्य प्राणी; पालपुर कूनो/नौरादेही ,मध्यप्रदेश

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

16-5-2012

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल